

फर्द अहकाम

(नियम 26)

९९
नागौर

अज्ञ अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,

श्री कृषि सह आ. किशन सिंह रावणा

बनाम :

श्री श्रीश्याम आ. शोपासिंह रावणा

राजपूत सा. पांचोता


राजपूत सा. पांचोता

किस्त मुकदमा २१२ RTA - गुा पत्र

मु. नम्बर

१६

सन् २०१७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
२६/१०/१७	<p>वकील प्रार्थी ने इसी अनुवान वार के साथ यह प्रार्थना-पत्र पेश कर अपार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। जिससे प्रथम इच्छा मामला व श्रुतिवा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अपार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक २२-११-१७ तक पाकड़ ग्राम पांचोता के ख. नं १०१ रकबा १.०१ हेक्टर भूमि में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से की १/४ हिस्से की भूमि खैदान रहन, हस्तान्तरण नहीं करें। इस बाबत अपार्थीगण को क्षमापति हो, तो क्षमास्तन। वमालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अपार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक २२-११-१७ को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) </p> <p>२२/११/१७ पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक ६/१२/१७ को पेश हो।</p> <p>६/१२/१७ पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक १८/१२/१७ को पेश हो।</p> <p>१८/१२/१७ पत्रावली पेश बार इस्तामियशन में कन्वॉलेन्स कर कार्र स्थान का निवेदन किया/ पत्रावली होकर दिनांक १९/१२/१७ को पेश हो।</p>	

19/12/17

वकील प्रार्थी उपर अग्रार्थीगण के नौदिवस प्राप्त नहीं पुनः पेश करें। पूर्व में जारी T-1 आदेश की मवाद आमात्री पेशी तक बढ़ती जाती है। 16/12/17 को पेश हो

12/2/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हैं पत्रावली दिनांक 16/4/18 को पेश हो

16/4/18 वकील प्रार्थी उपर पूर्व आदेश की पालना हेतु विहापत ही शर्ति 16/12/17 30/5/18 को पेश हो

20/6/18 पत्रावली लोक अदालत "न्याय अण्डके द्वार 2018 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अठार 18/18 में आज पेश हुई वकील का प्रतिवादी हाजीर/गैर हाजीर पक्ष कारण बारी/प्रतिवादी का हाजीर/गैर हाजीर पक्ष कारण के कारण राजकीय कार्य से बहार। मिसल पुनः न्यायालय न दिनांक 16/12/18 को पेश हो। पक्ष कारण को सूचित किया गया



16/7/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हैं पत्रावली दिनांक 14/8/18 को पेश हो

14/8/18 पत्रावली पेश बर एसोसियशन में कन्डोलेम्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली दिनांक होकर दिनांक 18/9/18 को पेश हो

18/9/18 पत्रावली पेश बर एसोसियशन में कन्डोलेम्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली दिनांक होकर दिनांक 21/11/18 को पेश हो

21/11/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हैं पत्रावली दिनांक 13/2/19 को पेश हो

13/2/19 पत्रावली पेश बर एसोसियशन में कन्डोलेम्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली दिनांक होकर दिनांक 11/3/19 को पेश हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>11/3/19 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बंधारे हैं पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो। </p> <p>14/5/19 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी व पार्थी स्वयं को बार-बार अवाज लशपी शब्द मिलते बतजूर अनुपस्थित रहे हैं अतः पार्थीशण का पार्थी-पत्र अदम हाजरी व अदम वैली में जारी किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुभार होकर दायित्व दलत रहे।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)</p>	